फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सांगर नन्दपुरा बनाम सरकार

केस संख्या : 37/21

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20-8-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उप०। साबिक आदेशानुसार वास्ते आदेश दिनांक 22-08-2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	22-08-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। राजस्व ग्राम नारदपुरा के ख०नं०-329 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी-3 के बजाय किस्म में गै०मु० आबादी दुरुस्त की किया जाता है। तहसीलदार जालसू उक्त निर्णय की पालना करते समय विधि अनुसार कार्यवाही करे तथा ध्यान रखे की किसी प्रकार का राज्य सरकार को कर अपवंचन ना हो। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 37 / 2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.04.2021

ग्राम पंचायत खन्नीपुरा पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये सरपंच सांवरमल घौसल्या।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञज्ञ अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 22.08.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 150 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा थे। उक्त खसरा नम्बर के दौराने सेटलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसका वादी खातेदार काश्तकार दर्जे व अंकित चला आ रहा हैं। वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को आगे के मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। विवादित भूमि का वादी निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। लेकिन पूर्व में उक्त विवादित भूमि की किस्म गै०मु० आबादी दर्ज व अंकित थी, जो कि सेटलमेन्ट के समय हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर बनाते समय किस्म गलती से बारानी–3 दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि की किस्म कभी भी गै०मु० बारानी–3 दर्ज नही रही हैं। विवादित भूमि पर आबादी बसी हुई है, तथा उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जा रहा हैं। सेटलमेन्ट के समय भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि की किस्म गलती से गै०मु० बारानी–3 दर्ज कर दी गई, जो भूलवश दर्ज की गई हैं। जिसे वादी दुरुस्त करवाने का कानूनन अधिकारी हैं। जब कभी भी उक्त भूमि की किस्म [illegible] बारानी 3 दर्ज रही ही नही एवं ना ही कभी उसमें काश्त ही की गई है [illegible] वर्तमान में ग्राम की आबादी बसी हुई हैं। ऐसे में वादी अधिकारी है [illegible] किस्म गै०मु० बारानी–3 को दुरूस्त करवाकर गै०मु० आबादी करवाये, जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। यदि माननीय न्यायालय अपनी संतुष्टि हेतु उचित समझे तो प्रतिवादी से उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। जिससे कि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी एवं माननीय न्यायालय को न्याय प्रदान करने में सहायता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

होगी। प्रतिवादी एवं उसके कर्मचारीगण आये दिन वादी की उक्त भूमि में ग्रामवासियों एवं उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते हैं एवं ग्रामवासियों को भूमि से बेदखल करने की एलानियां धमकी देते रहते हैं। इस कारण वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। दिनांक 01/02/2021 को प्रतिवादी के कुछ कर्मचारी आये तथा वादी एवं ग्रामवासियों को बेदखल करने लगे जिस पर वादी ने ऐसा नहीं करने एवं उक्त भूमि वादी की होने का कथन किया जिस पर प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा कहा कि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 बारानी–3 है। इस कारण तुम्हें हम बेदखल करके रहेगें। इस कारण वादी को उक्त वाद बावत घोषणा एवं किस्म परिवर्तन एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार जालसू द्वारा जवाब क्रमांक/LR/25/3542 दिनांक 07.08.2025 प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम नारदपुरा पंचायत समिति खन्नीपुरा में आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 हैक्टे. किस्म बारानी 3 हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबादी के खाता संख्या–1 सिवायचक लगानी में दर्ज रिकोर्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल खसरा 329 गत खसरा नंबर 150 मि. के द्वारा बना हुआ है। उक्त आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 है. किस्म बारानी 3 विवादित भूमि है। उक्त विवादित भूमि वर्तमान में आबादी के रूप में उपयोग की जाती रही है। उक्त आराजी खसरा नंबर 329 गत ख.न. 150 मि. से बना है तथा गत् खसरा नंबर 150 की किस्म जमाबन्दी सम्बत 2037 से 2040 में आबादी किस्म दर्ज है तथा इससे पूर्व जमाबन्दी सम्बत 2033 से 2036 में भी किस्म गैं. मु. आबादी दर्ज है। भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान नवीन खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 है0 के किस्म बारानी 3 दर्ज कर दी गई। जो गलत प्रविष्टी है। उक्त आराजी विवादित भूमि पर आबादी बसी हुई है। सेटलमेन्ट के समय भू– प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान की गई गलती को शुद्ध किया जाना उचित है। मुताबिक संलग्न रिकोर्ड के राजस्व ग्राम के खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी 3 के बजाय किस्म गै0 मु0 आबादी दुरुस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:11 IST
Reason: Self Attested

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सं. 2076 से 2079 ग्राम नारदपुरा एवं नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल पेश किया।

वादी अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। बहस एवं तहसीलदार जालसू की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित गत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 37/2021
रउनवानी – ग्राम पंचायत खन्नीपुरा बनाम राज. सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 22.08.2025

खसरा नम्बर 150 रकबा 6 बीघा ... जोकि दौराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसका वादी खातेदार काश्तकार दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। लेकिन पूर्व में उक्त विवादित भूमि की किस्म गै०मु० आबादी दर्ज व अंकित थी, जो कि सेटलमेन्ट के समय हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर बनाते समय किस्म गलती से बारानी–3 दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि की किस्म कभी भी गै०मु० बारानी–3 दर्ज नही रही हैं। विवादित भूमि पर आबादी बसी हुई है, तथा उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जा रहा हैं। सेटलमेन्ट के समय भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि की किस्म गलती से गै०मु० बारानी–3 दर्ज कर दी गई, जो भूलवश दर्ज की गई हैं।

प्रतिवादी तहसीलदार जालसू जयपुर ने अपनी रिपोर्ट/जवाब में माना है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 329 गत ख.न. 150 मि. से बना है तथा गत् खसरा नंबर 150 की किस्म जमाबन्दी सम्बत 2037 से 2040 में आबादी किस्म दर्ज है तथा इससे पूर्व जमाबन्दी सम्बत 2033 से 2036 में भी किस्म गैं. मु. आबादी दर्ज है। भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान नवीन खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 है0 के किस्म बारानी 3 दर्ज कर दी गई। जो गलत प्रविष्टी है। उक्त आराजी विवादित भूमि पर आबादी बसी हुई है। सेटलमेन्ट के समय भू– प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान की गई गलती को शुद्ध किया जाना उचित है। मुताबिक संलग्न रिकोर्ड के राजस्व ग्राम नारदपुरा खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी–3 के बजाय किस्म में गै0 मु0 आबादी दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार जालसू जयपुर की रिपोर्ट/जवाब दावा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर राजस्व ग्राम नारदपुरा खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी–3 के बजाय किस्म में गै0 मु0 आबादी दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार जालसू को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त की पालना विधि/नियम अनुसार करे तथा राज्य सरकार को किसी प्रकार का कर अपवंचन नहीं हो रहा हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 37/2021
बउनवानी – ग्राम पंचायत खन्नीपुरा बनाम राज. सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 22.08.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 37/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.04.2021

ग्राम पंचायत खन्नीपुरा पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये सरपंच सांवरमल घौसल्या।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......प्रतिवादी

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

राजस्व ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा के खसरा नंबर 329 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी–3 के बजाय किस्म में गै0 मु0 आबादी दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार जालसू को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त की पालना विधि/नियम अनुसार करे तथा राज्य सरकार को किसी प्रकार का कर अपवंचन नहीं हो रहा हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.08.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर